अपील 02786/2018/सतना/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

सुखलाल कोल तनय स्व0 कुमारे कोल, उम्र–65 वर्ष, पेशा खेती निवासी बड़ा इटमा, तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0) ....आवेदक / अपीलांट

बनाम

शासन मध्यप्रदेश ....अनावेदक / रेस्पाण्डेंट

अपील विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) का प्र.क. 387 / अपील / 17–18 आदेश दिनांक 16.03.2018

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

अधि0श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय द्वारा पेश
08.5.18
8.5.18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न है:–

यह कि आवेदक कोल जनजाति का ग्राम बड़ा इटमा तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0) का पुस्तैनी निवासी है जो कृषि एवं मजदूरी करने वाला व्यक्ति है तथा मजदूरी कर वह अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आवेदक का भूमि खसरा क्र. 43 / 1 रकवा 0.809 हे0, 43 / 2 रकवा 1.174 हे0 स्थित ग्राम करौदी एवं 47 / 1 रकवा 0.704 हे0, 58 / 1 रकवा 0.134 हे0, 82 रकवा 0.688 हे0, 83 रकवा 0.388 हे0 स्थित ग्राम खारा कुल रकवा 3.897 हे0 आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की पैतृक भूमियां है तथा आवेदक ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय सिविल लाइन्स सतना (म0प्र0) से के.सी.सी.लोन लिया था जिसमें से आवेदक ने लोन की आधी रकम जमा कर दिया था तथा आधी रकम बकाया थी। चूँकि आवेदक गरीब व्यक्ति है व मजदूरी कर अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। आवेदक की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आवेदक बैंक से लिए गए लोन की शेष राशि को जमा नहीं कर सका व बैंक की ओर से आवेदक को लगातार नोटिस जारी की जाती रही जिस कारण से वह अपना स्वतः पैतृक भूमि खसरा नं. 43 / 1 रकवा 0.809 हेक्टेयर भूमि को विक्रय करना चाहता है तथा आवेदक स्वतः मजदूर पेशा

(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील/2786/18/सतना/भूरा सुखलाल बनाम शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-07-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीपसिंह गहरवार द्वारा कायमी के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरांत प्रकरण में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से अग्राहय किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	